



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-प.2 ()जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2022/डी-898

दिनांक:-10/06/2022

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 169वीं बैठक दिनांक 08.06.2022 को 10.30 बजे श्री रवि जैन, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "मंथन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

क्र.सं	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1	-	169:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 169वीं बैठक दिनांक 26.05.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 168वीं बैठक दिनांक 26.05.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा लंबित अनुपालना रिपोर्ट पर लंबित प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिए गए।
2.	2	169:2	नागरिक सुरक्षा विभाग के राज्य स्तरीय कार्यालय "निदेशालय भवन" हेतु अतिरिक्त भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर 10 के भूखण्ड संख्या पी-8 क्षेत्रफल 2669.43 व.मी. में से 1000 व.मी. जिला पुलिस अधीक्षक, जयपुर (ग्रामीण) का भवन अन्यत्र बन जाने के कारण पूर्व में किये गये आवंटन को निरस्त कर उप निदेशक, निदेशालय, नागरिक सुरक्षा को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
3	5	169:3	पथिक भवन गृ.नि.सं.स. की योजना सूर्य नगर के भूखण्ड संख्या 489 में अतिरिक्त क्षेत्रफल 64.58 वर्ग गज (54.00 व.मी.) के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर पथिक भवन गृ.नि.सं.स. की योजना सूर्य नगर के भूखण्ड संख्या 489 में अतिरिक्त क्षेत्रफल 64.58 वर्ग गज (54.00 व.मी.) आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
4	5	169:4	पथिक भवन गृ.नि.सं.स. की योजना सूर्य नगर के भूखण्ड संख्या 480 में अतिरिक्त क्षेत्रफल 67.20 वर्ग गज (56.19 व.मी.) के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर पथिक भवन गृ.नि.सं.स. की योजना सूर्य नगर के भूखण्ड संख्या 480 में अतिरिक्त क्षेत्रफल 67.20 वर्ग गज (56.19 व.मी.) आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
5	8	169:5	पूर्व में आवंटित निजी खातेदारी की आवासीय योजना नारायण विहार सी के व्यावसायिक भूखण्ड सं० सी-84 कार्नर के विनिमय में जविप्रा की आवासीय योजना पत्रकार कालोनी में बी-11 एव बी-12 के मध्य अतिरिक्त भूमि में सृजित व्यावसायिक भूखण्ड बी-11ए क्षेत्रफल 186.50 वर्ग मीटर में से क्षेत्रफल 100 व.मी. आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा पूर्व में आवंटित निजी खातेदारी की आवासीय योजना नारायण विहार सी के व्यावसायिक भूखण्ड सं० सी-84 कार्नर के विनिमय में जविप्रा की आवासीय योजना पत्रकार कालोनी में बी-11 एव बी-12 के मध्य अतिरिक्त भूमि में सृजित व्यावसायिक भूखण्ड बी-11ए क्षेत्रफल 186.50 वर्ग मीटर में से क्षेत्रफल 100 व.मी. भूमि आवंटन करने बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि इसी योजना में अन्य कोई रिक्त भूखण्ड हो तो तदनुसार प्रस्ताव भिजवाने हेतु जोन को निर्देशित किया गया।

31/5
 एल.पी.सी.
 जयपुर विकास प्राधिकरण



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

6	9	169:6	जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की आवासीय योजना श्रीराम नगर के आवासीय भूखण्ड संख्या बी-149 में पी.टी. सर्वे अनुसार मौके पर उपलब्ध भूमि क्षेत्रफल 56.90 वर्ग गज बढी हुई भूमि का आवंटन किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की आवासीय योजना श्रीराम नगर के आवासीय भूखण्ड संख्या बी-149 में पी.टी. सर्वे अनुसार मौके पर 56.90 वर्ग गज बढी हुई भूमि का आवंटन आवासीय आरक्षित दर पर किये जाने का निर्णय लिया।
7	9	169:7	मेजर पवन कुमार पुत्र श्री सत्यवीर सिंह खिंचड शौर्य चक्रधारक को 225 वर्ग मीटर का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा मेजर पवन कुमार पुत्र श्री सत्यवीर सिंह खिंचड शौर्य चक्रधारक को भूखण्ड संख्या 194 क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर का भूखण्ड जविप्रा की निलय कुंज योजना में आवंटन करने का निर्णय बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लेण्ड) रूल्स 1974 के नियम 17-A के नियमानुसार शौर्य चक्रधारक को अधिकतम 220 व.मी. का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर एवं शेष 5 व.मी. भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।
8	9	169:8	पैरालम्पिक खेलो में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी सुश्री अवनी लेखरा को जविप्रा की आवासीय योजना निलय कुंज में उपलब्ध रिक्त भूखण्ड संख्या 66 क्षेत्रफल 225.00 वर्ग मीटर एवं भूखण्ड संख्या 144 क्षेत्रफल 225.00 वर्ग मीटर में जरिये लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा पैरालम्पिक खेलो में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी सुश्री अवनी लेखरा को जविप्रा की आवासीय योजना निलय कुंज में उपलब्ध रिक्त भूखण्ड संख्या 66 क्षेत्रफल 225.00 वर्ग मीटर एवं भूखण्ड संख्या 144 क्षेत्रफल 225.00 वर्ग मीटर में से एक भूखण्ड जरिये लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत किया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लेण्ड) रूल्स 1974 के नियम 17-A के नियमानुसार जरिये लॉटरी एक भूखण्ड 220 व.मी. का निःशुल्क एवं शेष 5 व.मी. भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।
9.	9	169:9	पैरालम्पिक खेलो में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी श्री कृष्णा नागर पुत्र श्री सुनील नागर को भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा पैरालम्पिक खेलो में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी श्री कृष्णा नागर पुत्र श्री सुनील नागर को जविप्रा की आवासीय योजना निलय कुंज में उपलब्ध रिक्त भूखण्ड संख्या 63 क्षेत्रफल 225.00 वर्ग मीटर एवं भूखण्ड संख्या 663 क्षेत्रफल 225.00 वर्ग मीटर में जरिये लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत किया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लेण्ड) रूल्स 1974 के नियम 17-A के नियमानुसार 220 व.मी. का भूखण्ड निःशुल्क एवं शेष 5 व.मी. आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।

श्री कृष्णा नागर पुत्र श्री सुनील नागर
जयपुर विकास प्राधिकरण



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

10	9	169:10	सैन्ट्रल स्पाईन योजना के व्यावसायिक भूखण्ड सं० बी/एन.सी./27 में आवंटित बड़े हुए क्षेत्रफल 54.25 व.मी. की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर सैन्ट्रल स्पाईन योजना के व्यावसायिक भूखण्ड सं० बी/एन.सी./27 में आवंटित बड़े हुए क्षेत्रफल 54.25 व.मी. के आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया।
11.	9	169:11	निजी खातेदारी योजना बैंक आफिसर्स डी ब्लॉक के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-47 क्षेत्रफल 88.88 वर्ग गज के स्थान पर निजी खातेदारी योजना रतन सागर के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस-39 क्षेत्रफल 80.90 का विनिमय में आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निजी खातेदारी योजना बैंक आफिसर्स डी ब्लॉक के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-47 क्षेत्रफल 88.88 वर्ग गज के न्यायालय स्थगन के कारण निजी खातेदारी योजना रतन सागर के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस-39 क्षेत्रफल 80.90 का विनिमय में आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
12	9	169:12	जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की निजी आवासीय गंगा विहार एन्कलेव के भूखण्ड संख्या-एस 92 क्षेत्रफल 319.34 व.मी. में अनुमोदित मानचित्र अनुसार बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 47.23 वर्ग गज भूमि का आवंटन किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर अनुमोदित निजी खातेदारी की निजी आवासीय गंगा विहार एन्कलेव के भूखण्ड संख्या-एस 92 क्षेत्रफल 319.34 व.मी. में अनुमोदित मानचित्र अनुसार बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 47.23 वर्ग गज भूमि का आवंटन आवासीय आरक्षित दर पर किये जाने का निर्णय लिया गया।
13.	9	169:13	भूखण्ड संख्या 454 क्षेत्रफल 225.00 व.मी. जविप्रा योजना निलय कुंज के बदले में भूखण्ड संख्या 194 क्षेत्रफल 225.00 व.मी. का आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर दोहरे आवंटन हो जाने से भूखण्ड संख्या 454 क्षेत्रफल 225.00 व.मी. जविप्रा योजना निलय कुंज के बदले में भूखण्ड संख्या 194 क्षेत्रफल 225.00 व.मी. का विनिमय में आवंटन का निर्णय लिया गया।
14.	9	169:14	जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की आवासीय योजना आर एसी एनक्लेव के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-12 क्षेत्रफल 552.66 वर्गगज में अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 179.20 वर्ग गज (व्यावसायिक) का आवंटन किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा जविप्रा की अनुमोदित निजी खातेदारी की आवासीय योजना आर एसी एनक्लेव के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-12 क्षेत्रफल 552.66 वर्गगज में अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 179.20 वर्ग गज का आवंटन किये जाने बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत किया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर अनुमोदित मानचित्रानुसार बड़े हुए क्षेत्रफल 179.20 वर्ग गज का व्यावसायिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
15.	9	169:15	जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की आवासीय भूमि बैंक आफिसर्स केम्पस बी-ब्लाक के व्यावसायिक भूखण्ड सं. बी-222 A क्षेत्रफल 636.18 वर्ग गज में 164.34 वर्गगज बढी हुई भूमि के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा जविप्रा की अनुमोदित निजी खातेदारी की आवासीय भूमि बैंक आफिसर्स केम्पस बी-ब्लाक के व्यावसायिक भूखण्ड सं. बी-222 A क्षेत्रफल 636.18 वर्ग गज में 164.34 वर्गगज बढी हुई भूमि के आवंटन बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण को निदेशक, नगर आयोजना से परीक्षण करवा कर आवश्यकता होने पर PWC में विचारार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण (पब.पी.सी.)
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

16	10	169:16	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जयसिंहपुरा खोर जयपुर के भवन विस्तार के लिये 6000 वर्गगज भूमि का आवंटन कराकर भवन निर्माण व विस्तार कर मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जयसिंहपुरा खोर जयपुर के भवन विस्तार के लिये 6000 वर्गगज भूमि का आवंटन कराकर भवन निर्माण व विस्तार कर मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाये जाने बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 05.07.2021 के अनुसार 4000 वर्गमी० भूमि निःशुल्क आवंटन स्थानीय निकायों के स्तर किये जाने का प्रावधान है, प्रकरण में अधिक क्षेत्रफल होने से राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
17	10	169:17	नवसृजित पुलिस थाना जयसिंहपुरा खोर जयपुर उत्तर हेतु भूमि आवंटन हेतु।	उपायुक्त द्वारा नवसृजित पुलिस थाना को जयसिंहपुरा खोर जयपुर में खसरा नम्बर 1853 रकबा 6.3991 है० किस्म बंजडमें से 0.3 है० भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 05.07.2021 के अनुसार 2000 वर्गमी० भूमि निःशुल्क आवंटन स्थानीय निकायों के स्तर किये जाने का प्रावधान है, प्रकरण में अधिक क्षेत्रफल होने पर राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
18	10	169:18	नाई की थड़ी, रामगढ रोड, जयपुर में कब्रिस्तान हेतु भूमि खसरा नम्बर, 8398 रकबा 1.3200 है० ग्राम आमेर तहसील आमेर में से भौके पर उपलब्ध रिक्त भूमि 10000 वर्गमीटर आवंटन हेतु।	उपायुक्त जोन द्वारा नाई की थड़ी, रामगढ रोड, जयपुर में कब्रिस्तान हेतु भूमि खसरा नम्बर, 8398 रकबा 1.3200 है० ग्राम आमेर तहसील आमेर में से भौके पर उपलब्ध रिक्त भूमि 10000 वर्गमीटर आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा आवंटन जारी आवंटन नीति-2015 के तहत शमशान व कब्रिस्तान हेतु 3000 वर्गमी. भूमि निःशुल्क आवंटन स्थानीय निकायों के स्तर किये जाने का प्रावधान है, प्रकरण में अधिक क्षेत्रफल होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
19	12	169:19	पृथ्वीराज नगर (उत्तर) के सीवरेज हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लॉट के निर्माण के सम्बन्ध में भूमि आवंटन के क्रम में।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार किया जाकर पृथ्वीराज नगर (उत्तर) के सीवरेज हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लॉट के निर्माण के हेतु ग्राम सांझरिया तहसील सांगानेर की नवसृजित संकल्प नगर योजना के पास ग्रीन भूमि ख.नं. 80 व 603 में से 2.6910 है० भूमि आरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया।
20	12	169:20	उप तहसील बगरु तहसील सांगानेर को कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण हेतु पूर्व में आवंटित भूमि 1000 वर्गमी. के लगायत आरक्षित भूमि 5368.18 वर्गमी. अतिरिक्त भूमि का आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन द्वारा उप तहसील बगरु तहसील सांगानेर को कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण हेतु पूर्व में आवंटित भूमि 1000 वर्गमी. के लगायत आरक्षित भूमि 5368.18 वर्गमी. अतिरिक्त भूमि का आवंटन के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

पति. उपायुक्त (एस.टी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

				समिति द्वारा विचार विमर्श कर न.वि.वि. के आदेश क्रमांक 6.11.2020 की अनुपालना में प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
21	13	169:22	Indian Medical Trust (चैरीटेबल पब्लिक ट्रस्ट) को स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयोजनार्थ राजस्व ग्राम-जुगलपुरा, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 533 रकबा 26.66 हेक्टेयर, 532 रकबा 2.4 हेक्टेयर, 533/674 रकबा 1.72 हेक्टेयर, 550 रकबा 0.08 हेक्टेयर, 688/734 रकबा 0.03 हेक्टेयर, 527 रकबा 0.52 हेक्टेयर, 546 रकबा 0.16 हेक्टेयर, 547 रकबा 0.06 हेक्टेयर, 666/731 रकबा 0.59 हेक्टेयर, 537 रकबा 0.15 हेक्टेयर, 538 रकबा 0.15 हेक्टेयर, 541 रकबा 0.20 हेक्टेयर, 526 रकबा 9.44 हेक्टेयर, 528 रकबा 2.44 हेक्टेयर, 531 रकबा 1.10 हेक्टेयर, 667/732 रकबा 0.2 हेक्टेयर, 667/733 रकबा 0.8 हेक्टेयर 531/667 रकबा 0.8 हेक्टेयर किता-18 कुल रकबा 47.5 हेक्टेयर भूमि का आवंटन बाबत्।	<p>उपायुक्त जोन-13 द्वारा कुल किता 18 रकबा 48.0243 हेक्टेयर सर्वे करवाया गया उक्त भूमि में से संलग्न तालिका अनुसार रकबा 6.4500 हेक्टेयर रेवेन्यू नाला, रकबा 10.7353 मौके पर नाला, G-1 रकबा 1.8240, वन रकबा 0.7117, पाल रकबा 1.2457, नाला एवं G-1 का क्षेत्रफल 1.0584, कुल रकबा 22.0252 घटाये जाने के पश्चात् रकबा क्षेत्रफल 27.2202 के आवंटन बाबत् प्रस्ताव भिजवाया गया।</p> <p>प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया कुल 27.2202 हेक्टे. भूमि का आवंटन जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के कम संख्या 34 के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय किया गया। इस क्षेत्रफल में से परिशिष्ट में कॉलम संख्या 13 में वर्णित क्षेत्रफल 1.2211 हेक्टे. रिकॉर्ड एवं मौके के अनुसार नाला नहीं होने से जी-2 में अनुज्ञेय उपयोग प्रक्रियानुसार किया जायेगा।</p> <p>उक्त भूमि में स्थित नाले पर प्रार्थी पुलिया निर्माण करना चाहे तो प्राधिकरण से आवश्यक तकनीकी स्वीकृति एवं पूर्वानुमति ली जानी होगी।</p>
22	14	169:21	जविप्रा की योजना सालिगरामपुरा में लॉटरी द्वारा आवंटित (कार्नर) भूखण्ड संख्या ए-142 का आवंटित क्षेत्रफल 252.00 व.मी. के स्थान पर मौके पर क्षेत्रफल 366.15 व.मी. अर्थात् 114.15 व. मी. अधिक उपलब्ध हो रहे क्षेत्रफल का आवंटन करने बाबत्।	<p>उपायुक्त जोन द्वारा जविप्रा की योजना सालिगरामपुरा में लॉटरी द्वारा आवंटित (कार्नर) भूखण्ड संख्या ए-142 का आवंटित क्षेत्रफल 252.00 व.मी. के स्थान पर मौके पर क्षेत्रफल 366.15 व.मी. अर्थात् 114.15 व.मी. अधिक उपलब्ध हो रहे क्षेत्रफल का आवंटन करने बाबत् प्रस्तुत किया।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श किया जाकर न.वि.वि. विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 23(अ)(i) एवं बिन्दु संख्या 23(ब)(i) के अनुसरण में भूखण्ड बढ़ें कुल क्षेत्रफल 114.15 व.मी. की मूल राशि जमा करा दी गई थी, परन्तु तत्समय ब्याज जमा नहीं कराया गया था, समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि शेष राशि नियमानुसार जमा कराकर उक्त भूमि का आवंटन जोन द्वारा किया जावे।</p>
23	14	169:23	जविप्रा की योजना हीरालाल शास्त्री नगर में लॉटरी दिनांक 25.09.2020 द्वारा आवंटित ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई. जी. के भूखण्ड संख्या जी-175 का आवंटित क्षेत्रफल 45.00 व.मी. के स्थान पर मौके पर क्षेत्रफल 76.00 व.मी. अर्थात् 31.00 व.मी अधिक उपलब्ध हो	<p>उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर जविप्रा की योजना हीरालाल शास्त्री नगर में लॉटरी दिनांक 25.09.2020 द्वारा आवंटित ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी.के भूखण्ड संख्या जी-175 का आवंटित क्षेत्रफल 45.00 व.मी. के स्थान पर मौके पर क्षेत्रफल 76.00 व.मी. अर्थात् 31.00 व.मी अधिक उपलब्ध हो रहे क्षेत्रफल को</p>

प्रायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


		रहे क्षेत्रफल का आवंटन बाबत।	MIGश्रेणी में आ जाने के कारण आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
--	--	------------------------------	--

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।


(आनन्दी लाल वैष्णव)
सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी-द्वितीय/नगर-आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन-1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर-प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण-प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्कैन कर जविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।


(आनन्दी लाल वैष्णव)
सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)



उपस्थिति पत्र

परिशिष्ट "अ"

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 169वीं बैठक दिनांक 08.06.2022 में उपस्थित रहे अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	LPC में पद	हस्ताक्षर
1.	श्री रवि जैन	जयपुर विकास आयुक्त	अध्यक्ष	
2.	श्री उज्ज्वल राठौड	सचिव	सदस्य	
3.	श्री ओंकार मल राजोतिया	निदेशक (वित्त)	सदस्य	
4.	श्री अजय मर्मा M.K. Marmar	निदेशक (अभियांत्रिकी-ग)	सदस्य	
5.	श्री विनय कुमार दलेला	निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य	
6.	श्रीमती विनीता सिंह	अति. आयुक्त (भूमि)	सदस्य	
7.	श्री आनन्दी लाल वैष्णव	अति. आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव	
8.	श्री जुगल किशोर मीणा	अति. आयुक्त (प्रशासन)	विशेष आमंत्रित	
9.	श्री बाबूलाल गोयल	अति. आयुक्त (पीआरएन/पूर्व)	विशेष आमंत्रित	
10.	श्री देवेन्द्र अरोड़ा	अति. निदेशक (राजस्व) एवं विशेषाधिकारी (आरएण्डएम)	विशेष आमंत्रित	
11.	श्री नवल किशोर मीणा	जन सम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित	
12.	श्री शेर सिंह लुहाड़िया	उपायुक्त जोन-8	विशेष आमंत्रित	
13.	श्री नरेश सिंह तंवर	उपायुक्त जोन-9	विशेष आमंत्रित	
14.	श्री राष्ट्रदीप यादव	उपायुक्त जोन-11	विशेष आमंत्रित	
15.	श्री जगत राजेश्वर	उपायुक्त जोन-12	विशेष आमंत्रित	
16.	श्री ओम प्रकाश थानवी	उपायुक्त जोन-5	विशेष आमंत्रित	
17.		J.C - 10	do -	
18.		DTP-13		
19.	Nishy	DC - 13		
20.	Mam Singh	D.C - 14	do	

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष: (0141-2570122) : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: (7019): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : { acipc.jda@rajasthan.gov.in }